

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 30/2025</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिलमें जारी हुए</p>
<p>20-8-2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी अभियुक्त ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 15-2-2025 को मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) का नमूना संख्या S-2564, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./449/Act/2025/419 दिनांक 24-2-2025 में अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 54 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त ईश्वरदास पुत्र बाबूदास वैष्णव के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12-8-2025 को प्रतिवादी ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिया जाने से दिनांक 12-8-2025 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व ऐसी खाद्य सामग्री भविष्य में विक्रय नहीं करेगा, इसलिये प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 15-2-2025 को आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही पर गये। वहां पर विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही के अन्दर लगभग 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कलाकन्द (खोया निर्मित) को वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा .....लगातार</p>	

मि.  
मि. चिन्ता कश्यप  
सिरौही-307601.




<p>तारिख हुकम</p>	<p><b>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b> <b>F.S.S.Act Case No. 30/2025</b></p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तागिलमें जारी हुए</p>
	<p>एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने उक्त फर्म मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही की दुकान के अन्दर आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) में से 02 (दो) किलोग्राम कलाकन्द (खोया निर्मित) को एक साफ, सूखे व खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 640/- (अक्षरे रुपये छः सौ चालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुए हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने उक्त खरीदशुदा 02 (दो) किलोग्राम कलाकन्द (खोया निर्मित) को प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव एवं उक्त गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं उक्त चारों डिब्बों में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डालकर इन चारों डिब्बों को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2564, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कलाकन्द (खोया निर्मित) के उक्त चारों नमूना डिब्बों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2564 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया एवं प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत स्वयं ने दिनांक 17-2-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर .....लगातार</p>	

भा.स. जिला बांधपुर  
सिरोही-307001.



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 30/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागिलमें जारी हुए
	<p>रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 15-2-2025 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही में प्रतिवादी विक्रेता ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) के नमूना संख्या S-2564 की प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:L.S./449/Act/2025/419 दिनांक 24-2-2025 में खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) का नमूना संख्या S-2564, अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही द्वारा अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का खाद्य पदार्थ मिल्क केक (खोया निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 54 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 व 54 के तहत अमानक (sub-standard) एवं बाह्य पदार्थ (Extraneous matter) स्तर का खाद्य पदार्थ कलाकन्द (खोया निर्मित) (नमूना संख्या S-2564) विक्रय करने से प्रतिवादी ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 35,000/- (अक्षरे रुपये पैंतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी ईश्वरदास पुत्र बाबूदास जी वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स वैष्णव मिष्ठान भण्डार, गोयली चौराहा, सिरौही, तहसील व जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01-10-2025 को पेश हो।</p>	



  
 (डॉ० दिनेश राय सापेला)  
 ब.वि. पि.स. सिरौही  
 सिरौही-30700.